संख्या- 99/2025/701/35-4-2025/35-4099/47/2023

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अयोध्या।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक :15 सितम्बर, 2025

विषय: जनपद-अयोध्या में वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत जनपद अयोध्या में शासनादेश संख्या-764/2023/2206/35-4-2023/001-35-4099/47/ 2023 दिनांक 16 अगस्त, 2023 द्वारा **नगर निगम अयोध्या के 15 वार्डों में पथ प्रकाश व्यवस्था से संबंधित कार्य** हेतु अनुमोदित लागत रू0 7186.65 लाख (जी0एस0टी0 सहित) पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू0 1796.66 लाख तथा शासनादेश संख्या-285/2024/1219/35-4-2024/35-4099/47/2023, दिनांक 14 अक्टूबर,2024 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 999.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। इस प्रकार कुल रू0 2795.66 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

2- आपके पत्र संख्या-355/त्वा0आ0वि0यो0/2024-25 दिनांक 16 जुलाई, 2025 द्वारा उक्त शासनादेशों से स्वीकृत प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि रू0 2795.66 लाख के सापेक्ष रू0 2774.94 लाख**(लगभग 99 प्रतिशत)** का उपभोग किया जाना एवं पत्र के साथ संलग्न बचत पत्र में टेन्डर की धनराशि का उल्लेख करते हुये बचत की धनराशि घटाने के पश्चात **अवशेष धनराशि रू0 3629.37** लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- अत: एतद्द्वारा उपर्युक्त शासनादेश से स्वीकृत एवं गठित अनुबंध से हुई बचत की धनराशि को समायोजित करते हुए 5 प्रतिशत की धनराशि को रोकने के पश्चात अनुमन्य देय अवशेष धनराशि रू0 **3308.12 लाख (रूपये तैंतीस करोड आठ लाख बारह हजार मात्र)** को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि रू. लाख में)

कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	बचत की धनराशि	बचत के उपरान्त कार्य की कुल लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6
नगर निगम अयोध्या के 15 वार्डों में पथ प्रकाश व्यवस्था से संबंधित कार्य।	7186.65	761.62	6425.03	2795.66	3308.12

1. उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक- 16 अगस्त, 2023 तथा दिनांक 14 अक्टूबर,2024 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2. प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक, डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्कतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त, अनाहरित बचती है, तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2026 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
7. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रू0 **33,08,12000 (रूपये तैंतीस करोड आठ लाख बारह हजार मात्र)**को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्ष- 4801808000302 शहरी क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था के चालू कार्यों के लिए एकमुश्त व्यवस्था 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/ 2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या- 99/2025/701(1)/35-4-2025/35-4099/47/2023,तद्दिनांक |
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त ।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण / नगर विकास विभाग।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव /विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
7. मंडलायुक्त, अयोध्या मण्डल ।
8. नगर आयुक्त,नगर निगम, अयोध्या।
9. मुख्य विकास अधिकारी, अयोध्या ।
10. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अयोध्या ।
12. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, अयोध्या ।
13. मुख्य अभियन्ता (वि0/या0) नगर निगम, अयोध्या।
14. संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफारमेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
15. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, नियोजन विभाग।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।